राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4789/2022

आनन्दी लाल सुमन

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, बूंदी।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरदा काचियान, जिला बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 18.10.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किए हैं कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 02.01.2006 के द्वारा 10 वर्षीय सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्रथम चयनित वेतनमान (वरिष्ठ वेतनमान) का लाभ दिनांक 04.07.2005 से स्वीकृत किया गया। इसके उपरांत आदेश दिनांक 23.01.2014 के द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.07.2013 से 18 वर्षीय चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत की गई। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.04.2021 के द्वारा अध्यापक लेवल–प्रथम से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर डीपीसी वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान की गई, जिस पदोन्नति का अपीलार्थी ने स्वेच्छा से परित्याग कर दिया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने 27 वर्षीय सेवाएं दिनांक 04.07.2022 को पूरी कर ली, परंतु अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने प्रथम पदोन्नति का परित्याग कर दिया है, जिसका प्रभाव 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ पर नहीं पड़ता है। अगर अपीलार्थी द्वारा तीसरी पदोन्नति का परित्याग किया होता, तभी तृतीय चयनित वेतनमान को रोका जा सकता था। अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का

लाभ पूर्व में ही दिया जा चुका है, ऐसे में प्रथम पदोन्नति का परित्याग किये जाने के आधार पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं रोका जा सकता। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि जब प्रथम एसीपी का लाभ दिया गया था, तक अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई थी। अपीलार्थी को वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरुद्ध आदेश दिनांक 12.04.2021 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गई, जिसका अपीलार्थी ने परित्याग किया है। वित्त विभाग ने दिनांक 04.12.1996 को यह आदेश जारी किए हैं कि जिन कार्मिकों ने द्वितीय व तृतीय पदोन्नति का परित्याग किया है, उन्हीं को ही द्वितीय व तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा। अपीलार्थी ने केवल मात्र प्रथम पदोन्नति का परित्याग किया है। इसलिए अपीलार्थी को द्वितीय व तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त होगा। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 4572/2000 रामधन अरुण बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.09.2001 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें याची द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर दिए गए द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ निरस्त किए जाने के आदेश को याची ने चुनौती दी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने वित्त विभाग के सर्कुलर दिनांक 25.01.1992 के शर्त संख्या आठ का हवाला देते हुए, यह माना है कि उक्त शर्त संख्या–8 तभी लागू की जा सकती है, जब चयनित वेतनमान का लाभ देय दिनांक से पूर्व में पदोन्नति दी गई हो। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि रामधन अरुण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को बहाल रखा है एवं खंडपीठ ने भी आदेश दिनांक 24.10.2002 में यह माना है कि चयनित वेतनमान का लाभ काफी समय तक पदोन्नति नहीं होने के कारण दिया जाता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राजकीय कर्मचारी अपनी पदोन्नति का परित्याग नहीं कर सकता हो। पदोन्नति का परित्याग किये जाने के आधार पर चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाना उचित नहीं है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि नियमानुसार पदोन्नति का परित्याग करने की स्थिति में आगामी पदोन्नति को स्वीकार नहीं कर लिये जाने तक कार्मिक को चयनित वेतनमान/एसीपी प्रदान नहीं की जा सकती है। यह भी अंकित किया गया है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 17.02.1998 में यह स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति परित्याग की स्थिति में यदि कोई कार्मिक प्रथम पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसके आगामी चयनित वेतनमान प्रदान नहीं किये जायेंगें। अपीलार्थी द्वारा

प्रथम पदोन्नति का परित्याग किया गया है, परन्तु अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान पूर्व में ही स्वीकृत किया जा चुका है, इसलिए आगामी 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान पदोन्नति प्राप्त करने के पश्चात ही देय होगा तथा जो कार्मिक द्वितीय अथवा तृतीय चयनित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे है, उनके द्वारा क्रमशः द्वितीय अथवा तृतीय पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वितीय अथवा तृतीय चयनित वेतनमान नियमानुसार प्रत्याहारित कर लिये जायेंगें। यह भी अंकित किया गया है कि राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक No.F.15(1)FD/RULES/2017 JAIPUR, DATED 30.10.2017 के नियम 14 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अधिनस्थ कार्मिकों के लिए एसीपी के प्रावधान लागू किये गये तथा एसीपी के संबंध में विस्तृत आदेश शिड्यूल–IV में जारी किये गये, उक्त वर्णित शिड्यूल–IV के बिन्दू संख्या–16 को निम्न प्रकार वर्णित/परिभाषित किया गया है :–

(16) If a regular promotion has been offered but was refused by the employee before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed as such an employee has not been stagnated due to lack of opportunities. It however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the employee subsequently refuses the promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second the next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of deferment due to the refusal. वर्णितानुसार सातवें वेतन आयोग के प्रावधान लागू किये जाने के उपरांत भी पदोन्नति परित्याग करने पर एसीपी को डैफर किये जाने के प्रावधान स्पष्टया वर्णित किये गये हैं। प्रत्यर्थीगण द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार ही अपीलार्थी कार्मिक को पदोन्नति परित्याग किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 04.07.2022 से देय चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है।

3. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों विचार किया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान पूर्व में ही दिया जा चुका था। उसके पश्चात ही अपीलार्थी ने पदोन्नति का परित्याग किया है, जो कि केवल मात्र प्रथम पदोन्नति का पारित किया है। अपीलार्थी यदि पदोन्नति भी प्राप्त कर लेता तो भी अपीलार्थी को कोई वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपीलार्थी पूर्व में ही प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान के लाभ के साथ वित्तीय लाभ प्राप्त कर

चुका था। ऐसे में पदोन्नति के परित्याग से कोई वित्तीय भार सरकार पर नहीं आता है। अतः अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने में कोई बाधा नहीं है। अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान के लाभ से वंचित रखा गया है, जबकि अपीलार्थी को अभी तक तृतीय पदोन्नति नहीं दी गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि रामधन अरुण बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ व खंडपीठ दोनों ने प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने के उपरांत पदोन्नति का परित्याग किया जाने के आधार पर चयनित वेतनमान के लाभ से वंचित किया जाना उचित नहीं माना है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता का तर्क रहा है कि वित्त विभाग ने अपने परिपत्र दिनांक 30.10.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (रिवाइज्ड–पे) नियम, 2017 लागू किया है, जिसमें नियम–16 निम्न प्रकार से हैः–

"(16) If a regular promotion has been offered but was refused by the employee before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed as such an employee has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the employee subsequently refuses the promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second the next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of deferment due to the refusal."

5. उक्त नियम 16 से स्पष्ट है कि जहां पर एक बार चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के पश्चात पदोन्नति का परित्याग किया जा चुका है और बाद में कर्मचारी द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया जावें तो उसे आगामी चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सकता। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त नियम–2017 अपीलार्थी पर लागू होता है। ऐसे में अपीलार्थी को उक्त नियमों के तहत पदोन्नति का परित्याग किये जाने के उपरांत आगामी चयनित वेतनमान का लाभ तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक अपीलार्थी आगामी पदोन्नति प्राप्त नहीं कर लें। उनका यह भी तर्क है रहा है कि यह प्रावधान इस कारण से रखा गया है, क्योंकि चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त होने के उपरांत कर्मचारी को वित्तीय लाभ प्राप्त हो जाता है, ऐसे में कर्मचारी आगे पदोन्नति का परित्याग कर देता है और अपने ही पद पर बना रहता है, क्योंकि उन्हें पूर्व से ही बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त हो रहा है। ऐसे में पदोन्नत पद रिक्त रह जाता है, जिससे प्रशासनिक कठिनाईयां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रत्यर्थी

विभाग के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि रामधन अरुण बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ एवं खंडपीठ ने जो निर्णय पारित किया है वह उस मामले में पारित किया है जहां पर चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने के उपरांत उसे निरस्त किया गया है। वर्तमान प्रकरण भिन्न है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में पूर्व में दिए गए चयनित वेतनमान का लाभ वापस नहीं लिया गया है, केवल मात्र आगामी चयनित वेतनमान के लाभ को उस दिनांक तक के लिए आगे बढ़ाया गया है, जब तक अपीलार्थी आगामी पदोन्नति प्राप्त नहीं कर लेता है। ऐसे में अपीलार्थी का मामला उक्त मामले से भिन्न है। अपीलार्थी के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (रिवाइज्ड–पे) नियम, 2017 का नियम–16 लागू नहीं लागू होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान रखा गया है कि जहां चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने के उपरांत बाद में कर्मचारी द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया हो, वहां पर पूर्व में दिए गए चयनित वेतनमान का लाभ वापस नहीं लिया जाएगा, परंतु आगे का चयनित वेतनमान का लाभ तब तक के लिए रोका जाएगा, जब तक कि वह पदोन्नति प्राप्त करने के लिए स्वीकृति नहीं देता है।

6. हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय रामधन अरुण के मामले में दिया था, वहां पर याची को पूर्व में दिए गए चयनित वेतनमान का लाभ पदोन्नति के परित्याग किये जाने के उपरांत वापस लिया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि पदोन्नति ही बाद में दी गई थी। ऐसे में पूर्व में दिए गए चयनित वेतनमान के लाभ को वापस नहीं दिया जा सकता। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने सर्कूलर दिनांक 25.01. 1992 के मत संख्या–8 की विवेचना करते हुए यह माना है कि जहां पदोन्नति चयनित वेतनमान के लाभ के पूर्व में दी गई हो और उसका परित्याग किया गया हो तो ऐसे में चयनित वेतनमान का लाभ रोका जा सकता है, परन्तु बाद में प्रदान की गई पदोन्नति के परित्याग से पूर्व में दिया गया लाभ वापस नहीं लिया जा सकता। वर्तमान प्रकरण रामधन अरुण के प्रकरण से भिन्न है, क्योंकि अपीलार्थी को पूर्व में दिया गया लाभ वापस नहीं लिया गया है। पूर्व में दिए गए लाभ को पदोन्नति का परित्याग करने पर वापस नहीं लिया जाएगा। इस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों को मानते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (रिवाइज्ड–पे) नियम, 2017 में नियम–16 का प्रावधान रखा गया है, जिसमें यह प्रावधान रखा गया है कि पदोन्नति का परित्याग किये जाने के उपरांत पूर्व में दिए गए चयनित वेतनमान का लाभ वापस नहीं लिया जाएगा, परंतु उसके आगे दिए जाने वाले चयनित वेतनमान

के लाभ को तब तक रोका जाएगा जब तक कि वह पदोन्नति के लिए स्वीकृति नहीं दे। ऐसे में अपीलार्थी के संबंध में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान राजस्थान सिविल सेवा (रिवाइज्ड–पे) नियम, 2017 के नियम–16 में रखा गया है। उसे आगामी चयनित वेतनमान का लाभ तब तक के लिए नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह पदोन्नति के लिए स्वीकृति नहीं दे।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण 2022(1) SCALE 1 यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम मंजु अरोड़ा एवं अन्य में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

> "16. We are quite certain that if a regular promotion is offered but is refused by the employee before becoming entitled to a financial upgradation. she/he shall not be entitled to financial upgradation only because she has suffered stagnation. This is because, it is not a case of lack of promotional opportunities but an employee opting to forfeit offered promotion, for her own personal reasons. However, this vital aspect was not appropriately appreciated by the High Court while granting relief to the employees
>
> 17. It may also be observed that when an employee refuses the offered promotion, difficulties in manning the higher position might arise which give rise to administrative difficulties as the concerned employee very often refuse promotion in order to continue in his/her own place of posting.
>
> 18. In the above circumstances, we find merit in the submissions made on behalf of the appellants. Consequently, it is declared that the employees who have refused the offer of regular promotion are disentitled to the financial upgradation benefits envisaged under the O.M. dated 9.8.1999. I this situation, the Scottish doctrine of "Approbate and Reprobate" springs to mind. The English equivalent of the doctrine was explained in Lissenden v. CAV Bosch Ltd. wherein Lord Atkin observed at page 429,
>
> ".....In cases where the doctrine does apply the person concerned has the choice of two rights, either of which he is at liberty to adopt, but not both. Where the doctrine coes apply, if the person to whom the choice belongs irrevocably and with knowledge adopts the one he cannot afterwards assert the other....."
>
> The above doctrine is attracted to the circumstances in this case. The concerned employees cannot therefore be allowed to simultaneously approbate and reprobate, or to put it colloquially, eat their cake and have it too". It is declared accordingly for the respondents in the C.A. Nos.7027-28/2009."

8. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि जहां कर्मचारी द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया जाता है, वहां पर उच्च पदों पर काार्मिकों की कमी हो जाने की वजह से प्रशासनिक कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता तर्क न्यायसंगत प्रकट होता है कि जहां कर्मचारियों को पूर्व में उच्च पद का वित्तीय लाभ प्राप्त हो चुका है तो उनके द्वारा पदोन्नति परित्याग किये जाने से उच्च पद पर कार्य किये बिना वो उसी पद पर बने रहते हैं और उच्च पद का वेतन भी प्राप्त करते रहते हैं। इसके अलावा उच्च पद खाली रहने से प्रशासनिक कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं। हमारे मत में इन्हीं प्रशासनिक कठिनाईयों को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (रिवाइज्ड–पे) नियम, 2017 में नियम–16 का प्रावधान रखा गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के उपरांत कर्मचारी द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो उसके आगे मिलने वाले चयनित वेतनमान के लाभ को तब तक रोका जाता है, जब तक पदोन्नति के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। अतः अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाना राजस्थान सिविल सेवा (रिवाइज्ड–पे) नियम, 2017 के नियम–16 के अनुरूप है। ऐसे में उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अपीलर्थी को आगामी पदोन्नति को स्वीकृत नहीं किये जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

9. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी की इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)